


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पंजाब नेशनल बैंक बनाम टैगोर शिक्षा निकेतन

प्रकरण संख्या : 08/2022 (धारा 14 सिविल रिट आर्डिनेंस एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.03.2022	<p>पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की राशि जमा कराये जाने से समझौता होने का कथन कर धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विद्धो किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्राधिकृत अधिकारी व उनके वकील द्वारा प्रकरण को विद्धो किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p style="text-align: right;"><i>Mahesh Shetty</i> (अधीनस्थ)</p>